Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में थानाधिकारी, पुलिस थाना गोविन्दगढ़ 6 लाख रूपये रिश्वत के मामले में गिरफ्तार**
- **बिचौलिये के रूप में रिश्वत लेने वाला अधिवक्ता मौके से फरार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *25 अगस्त, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये हरिनारायण शर्मा पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना गोविन्दगढ़, जयपुर ग्रामीण को परिवादी से अधिवक्ता के माध्यम से **6 लाख रूपये** की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमें में मदद करने की एवज में हरिनारायण शर्मा पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना गोविन्दगढ़, जयपुर ग्रामीण द्वारा दलाल अधिवक्ता विश्वनाथ शर्मा (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **10 लाख रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह शेखावत** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई। आरोपी पुलिस निरीक्षक के दलाल अधिवक्ता विश्वनाथ शर्मा (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा परिवादी से **6 लाख रूपये रिश्वत राशि** के प्राप्त किये। आरोपी अधिवक्ता विश्वनाथ शर्मा एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर रिश्वत राशि लेकर मौके से फरार हो गया। एसीबी टीम द्वारा पीछा करने पर वह रिश्वत राशि फेंक कर फरार हो गया, जो एसीबी टीम द्वारा बरामद कर ली गई है। आरोपी अधिवक्ता की तलाश की जा रही है। प्रकरण में आरोपी पुलिस निरीक्षक हरिनारायण शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर निवासी ढ़ाणी दाबावली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर हाल थानाधिकारी, पुलिस थाना गोविन्दगढ़, जयपुर ग्रामीण को बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी पुलिस निरीक्षक शिकायत के सत्यापन के दौरान भी दलाल अधिवक्ता के माध्यम से परिवादी से **4 लाख रुपये** रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर चुका था।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।